राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: rajssa.plan@yahoo.co.in

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / UDISE + / 2019–20 / दिनांक :

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले ।

विषय : यू–डाइस 2019–20 के शतप्रतिशत डाटा संकलन / प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यू–डाइस प्लस 2019–20 के डाटा संकलन / प्रविष्टि का कार्य भारत सरकार के ऑनलाईन पोर्टल http://udiseplus.gov.in के माध्यम से प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें समस्त विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, इत्यादि की शतप्रतिशत संकलन / प्रविष्टि की जानी है। यह कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की उच्च प्राथमिकता पर है। इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम दिनांक 20.02.2020 तक सभी विद्यालयों द्वारा यू–डाइस प्लस पोर्टल पर डीसीएफ की सूचना अपलोड की जानी थी तत्पश्चात् पृथक से जारी किये गये आदेशानुसार दिनांक 29.02.2020 तक उक्त कार्य सभी जिलों द्वारा संपादित कराया जाना था।

इस संदर्भ में राज्य में किसी भी जिले द्वारा कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण नहीं किया गया है। आदिनांक तक यू–डाइस प्लस 2019–20 की फीडिंग की प्रगति कुल 89.40 प्रतिशत है। अतः यू–डाइस प्लस 2019–20 के डाटा संकलन / प्रविष्टि करने से शेष रहे विद्यालयों से शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा कर शतप्रतिशत डाटा संकलन / प्रविष्टि सुनिश्चित करें। यू–डाइस भरने से राज्य का कोई भी सरकारी एवं निजी विद्यालय वंचित न रहे।

संलग्न :– (1) जिलेवार यू–डाइस प्लस 2019–20 के डाटा संकलन / प्रविष्टि की प्रगति रिपोर्ट।
(2) विज्ञप्ति की प्रति।

www.rajteachers.com

(अभिषेक भगोतिया)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / UDISE + / 2019–20 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम / द्वितीय, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
7. कार्यालय प्रति।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

UDISE Plus 2019-20 :- Data Entry Progress Status - Rajasthan Dated 04/03.2020

SI No.	District Name	Total Schools	Entry Not Started	Work in Progess	Completed	
					Entry Completed	% of Entry Completed
1	GANGANAGAR (0801)	3039	111	167	2761	90.85 %
2	HANUMANGARH (0802)	2063	20	95	1948	94.43 %
3	BIKANER (0803)	3471	158	218	3095	89.17 %
4	CHURU (0804)	2577	99	116	2362	91.66 %
5	JHUNJHUNU (0805)	2789	84	126	2579	92.47 %
6	ALWAR (0806)	5256	357	275	4624	87.98 %
7	BHARATPUR (0807)	3231	137	168	2926	90.56 %
8	DHAULPUR (0808)	1837	96	145	1596	86.88 %
9	KARAULI (0809)	2182	216	116	1850	84.78 %
10	SAWAI MADHOPUR (0810)	1985	143	165	1677	84.48 %
11	DAUSA (0811)	2588	201	160	2227	86.05 %
12	JAIPUR (0812)	9060	979	717	7364	81.28 %
13	SIKAR (0813)	3540	152	216	3172	89.6 %
14	NAGAUR (0814)	4864	150	333	4381	90.07 %
15	JODHPUR (0815)	5765	311	298	5156	89.44 %
16	JAISALMER (0816)	1622	48	106	1468	90.51 %
17	BARMER (0817)	5669	178	351	5140	90.67 %
18	JALOR (0818)	2737	78	128	2531	92.47 %
19	SIROHI (0819)	1415	13	81	1321	93.36 %
20	PALI (0820)	2935	90	135	2710	92.33 %
21	AJMER (0821)	3329	0	88	3241	97.36 %
22	TONK (0822)	2493	71	118	2304	92.42 %
23	BUNDI (0823)	1885	70	112	1703	90.34 %
24	BHILWARA (0824)	4069	59	167	3843	94.45 %
25	RAJSAMAND (0825)	2236	36	125	2075	92.8 %
26	UDAIPUR (0826)	5447	632	417	4398	80.74 %
27	DUNGARPUR (0827)	3117	25	84	3008	96.5 %
28	BANSWARA (0828)	3831	87	230	3514	91.73 %
29	CHITTAURGARH (0829)	2612	109	158	2345	89.78 %
30	KOTA (0830)	2344	104	152	2088	89.08 %
31	BARAN (0831)	2213	124	102	1987	89.79 %
32	JHALAWAR (0832)	2252	163	222	1867	82.9 %
33	PRATAPGARH (RAJ.) (0833	2015	40	60	1915	95.04 %
	RAJASTHAN	**106468**	**5141**	**6151**	**95176**	**89.40%**

www.rajteachers.com

स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर
विज्ञप्ति

समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान को आवश्यक सूचनार्थः–

राज्य के समस्त विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को यू–डाइस प्लस पोर्टल (udiseplus.gov.in) पर ऑनलाईन डाटा अनिवार्यतः भरने हेतु सूचनाः–

स्कूल शिक्षा के बेहतर शैक्षिक नियोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू–डाइस) को वर्ष 2019–20 में यू–डाइस डाटा विद्यालयों द्वारा स्वंय के स्तर पर यू–डाइस प्लस पोर्टल पर फीड किया जावेगा। साथ ही आगामी माहों में उक्त सूचना को निर्धारित समय सीमा में विद्यालयों द्वारा अपडेट भी किया जावेगा जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाऐं भारत सरकार के स्तर तक वास्तविक समय (Real Time) के अनुसार उपलब्ध हो सकें।

अतः राजस्थान राज्य में स्थित सभी प्रकार के विद्यालय चाहे वे किसी भी प्रबंधन द्वारा संचालित हो अथवा किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, के संस्था प्रधान कृपया ध्यान दे कि अपने विद्यालय रिकार्ड से यू–डाइस डीसीएफ (डेटा कैप्चर फॉरमेट) दिनांक 20.02.2020 तक अनिवार्य रूप से ऑन लाईन भरें।

1. **डेटा कैप्चर फॉरमेट (डीसीएफ) किन विद्यालयों को भरना हैः–**
   यह फॉरमेट राजस्थान राज्य में स्थित सभी प्रकार के सरकारी, निजी, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सैनिक विद्यालय, संस्कृत शिक्षा विद्यालय, मदरसा, शिक्षा कर्मी, श्रम बाल विद्यालय जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग इत्यादि द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाऐं संचालित हो, चाहे वे किसी भी प्रबंधन द्वारा संचालित हो रही है या किसी भी बोर्ड (यथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आई.सी.एस.सी या अन्य कोई समकक्ष बोर्ड) से मान्यता प्राप्त हो, द्वारा ऑनलाईन **डेटा कैप्चर फॉरमेट** (डीसीएफ) भरना अनिवार्य है।
2. **डेटा कैप्चर फॉरमेट नहीं भरने पर क्या हो सकता हैंः–**

a. आपका विद्यालय समग्र शिक्षा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता से वंचित रह सकता है एवं राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर संस्था प्रधानों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

b. निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है एवं राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टलों पर विद्यालय बंद दर्शाया जा सकता है तथा आर.टी.ई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत बच्चों की फीस का पुनर्भरण नही हो सकेगा। साथ ही निजी स्कूलों की मान्यता के आवेदन पत्र में यू–डाइस कोड अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

3. **डेटा कैप्चर फॉरमेट भरने की आवश्यकता क्यो हैः–**

a. विद्यालय के विद्यार्थी केन्द्र/राज्य सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते है क्यों कि विद्यालयों को इस हेतु यू–डाइस कोड अनिवार्य है।

b. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा में आवेदन हेतु यू–डाइस कोड अनिवार्य है।

4. **डेटा कैप्चर फॉरमेट ऑन लाईन कैसे एवं कब तक भरेंः–**
   डेटा कैप्चर फॉरमेट भरने हेतु परिषद् कार्यालय से समस्त राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के यूजर एवं पासवर्ड विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से भिजवाये जावेगें। **संस्था प्रधान द्वारा udiseplus.gov.in बेवसाइट पर अपने यूजर एवं पासवर्ड के माध्यम से डाटा फीड कर सकते है। यदि विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है तो विद्यालय डाटा फीड करने पूर्व ब्लॉक/जिला स्तर से आवश्यक रूप से केटेगरी अपडेट करावें। यू–डाइस डाटा उक्त पोर्टल पर दिनांक 01.02.2020 से 20.02.2020 तक भरा जा सकता है।** यू–डाइस डाटा फीड करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश **udiseplus.gov.in** बेवसाइट पर या **https://tinyurl.com/uqcnoz9** लिंक पर उपलब्ध है।
5. **नवीन विद्यालयों द्वारा डाइस कोड़ कैसे प्राप्त किया जावेंः–**
   वर्ष 2019-20 में ऐसे विद्यालय जिनको राज्य सरकार द्वारा नवीन मान्यता प्राप्त हुई है अथवा ऐसे विद्यालय जिन्होने के कभी यू–डाइस नही भरा हो वे विद्यालय जिला/ब्लॉक स्तर से यू–डाइस कोड़ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रपत्र **https://tinyurl.com/s9bxwdh** प्राप्त कर विद्यालय की जानकारी देते हुए यू–डाइस कोड़ प्राप्त कर सकते है। डाइस कोड़ प्राप्त करने हेतु विद्यालयों द्वारा मान्यता की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय में उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. **डेटा कैप्चर फॉरमेट भरने हेतु आ रही समस्या का समाधान कैसे प्राप्त करेंः–**
   विद्यलायों द्वारा ऑनलाईन डाटा भरने में आ रही समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर पीईईओ से, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/कार्यक्रम प्रभारी (डाइस)/कम्प्यूटर ऑपरेटर से, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम प्रभारी (डाइस) एवं जिला एमआईएस प्रभारी से प्राप्त कर सकते है। इस हेतु प्रतयेक स्तर पर यू–डाइस 2019–20 हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर सम्बंधित अधिकारिओ को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
   राज्य स्तर से समस्या का समाधान करने हेतु सम्पर्क सूत्र यू–डाइस शाखा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुरः– 0141–2705483

नोटः दिनांक 20.02.2020 के पश्चात् किसी भी विद्यालय को यू–डाइस कोड़ नही दिया जावेगा। साथ ही यू–डाइस प्रपत्र नही भरा जा सकता है।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

www.rajteachers.com